परिशिष्ट"क"

<u>महत्वपूर्ण/आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक प.20(1)प्र.सु./सम./अनु.1/99 जयपुर, दिनांक 14 जुलाई, 1999.

<u>आज्ञा</u>

विषय: मुख्यालय पर निवास करने के सम्बन्ध में ।

प्राय: देखा गया है कि कुछ कर्मचारी/अधिकारी अपने पदस्थापन के स्थान पर निवास नहीं करते तथा अन्य स्थानों से कार्यालय को आते जाते हैं । इससे न केवल यातायात व्यय होता है, बल्कि ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की कार्यकुशलता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है । राज्य कार्य हेतु, कार्यालय में समय से पूर्व या पश्चात् जब इन कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है तो ये कर्मचारी समय पर उपलब्ध नहीं रहते । फलस्वरूप महत्वपूर्ण राज्य कार्य सम्पादन में अवरोध उत्पन्न होता है । ग्रामीण क्षेत्रों में इससे आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । पटवारियों, ग्रामसेवकों, अध्यापकों, ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू., आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बिजली पानी एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के अभाव में आम जनता को कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं । इससे राज्य सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है । कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प.18(5)प्र.सु./सम./अनु.1/99 दिनांक 2.7.1999 द्वारा संभागीय आयुक्तों को अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर, उन्हें पदमुक्त कर स्थानान्तरित करने के व्यापक अधिकार दिये हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में निगरानी एवं निरीक्षण के लिए स्थाई समितियां गठित करने के निर्देश भी प्रसारित किये हैं ।